संख्या-05/2019/ 387/84-1-19-87/2017

प्रेषक,

वेद प्रकाश शर्मा
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- नियंत्रक,
विधिक माप विज्ञान विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

2- आहरण एवं वितरण अधिकारी,
खाद्य एवं रसद सचिव शाखा,
उत्तर प्रदेश शासन।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक: 09 अप्रैल, 2019

विषय- वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-21 के लेखाशीर्ष "3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-106-भार और माप का विनियमन-03-अधिष्ठान व्यय" आदि के अन्तर्गत वित्तीय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-554/निविमावि-लेखा-7(25)मॉग/2018 दिनॉक 02.11.2018 एवं खाद्य तथा रसद अनुभाग (लेखा) के पत्र संख्या-सी0ए0-142/29-1-2019(लेखा), दिनांक 04 अप्रैल ,2019 क्रम में एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनॉक 22 मार्च, 2019 में निहित निर्देशों के अधीन, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विधिक माप विज्ञान विभाग तथा खाद्य एवं रसद सचिव शाखा के अधिष्ठान पर होने वाले व्यय को वहन करने हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये प्राविधानित धनराशि कुल रू0-5801.21 लाख (रूपये अटठावन करोड़ एक लाख इक्कीस हजार मात्र) के सापेक्ष श्री राज्यपाल महोदय रू0-5801.21 लाख (रूपये अटठावन करोड़ एक लाख इक्कीस हजार मात्र) अनुदान संख्या-21 के लेखाशीर्ष "3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-106-भार और माप का विनियमन-03-अधिष्ठान व्यय" में विधिक माप विज्ञान विभाग तथा खाद्य एवं रसद, सचिव शाखा के अधिष्ठान पर होने वाले व्यय को वहन करने हेतु अधोलिखित विवरण के अनुसार, निम्न शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रूपये में)

d0 l0	ekud en l[;k o en dk uke	foRrh; o"k 2019&20 d vk;&0;;d e ikfo/kku	'kklu d 'kk[kk Lrj ij dk;jr [kk| ,o jln lfpo 'kk[kk d LVkQ gr vkofVr /kujkf'k	fof/kd eki foKku foHkkx gr vkofVr /kujkf'k	;kx ¼4+5½
1	2	3	4	5	6
1	01&oru	4300.00	11.00	4289.00	4300.00
2	02&etnjh	5.00		5.00	5.00
3	03&egxkbZ HkRrk	645.00	1.75	643.25	645.00
4	04&;k=k 0;;	10.50	0.15	10.35	10.50
5	05&LFkkukUrj.k ;k=k 0;;	1.50		1.50	1.50
6	06&vU; HkRr	20.00	00.50	19.50	20.00
7	07&ekun;	0.01		0.01	0.01
8	08&dk;ky; 0;;	5.50	0.75	4.75	5.50
9	09&fo|r n;	15.00		15.00	15.00
10	10&tydj@ty iHkkj	2.00		2.00	2.00
11	11&y[ku lkexh vkj Qkek dh Nkb	5.00		5.00	5.00
12	12&dk;ky; Quhpj ,o midj.k	9.00		9.00	9.00
13	13&VyhQku ij 0;;	3.00		3.00	3.00
14	14&eksVj xkfM;k dk d;	0.00		0.00	0.00
15	15&xkfM;k dk vuj{k.k ,o iVky vkfn dh [kjhn	32.20		32.20	32.20
16	16&0;olkf;d rFkk fo"k'k lokvk d fy,	1.00		1.00	1.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	Hkxrku				
17	17&fdjk;k mi"kYd ,o dj LokfeRo	40.00		40.00	40.00
18	26&e"khu vkj ITtk@midj.k vkj l;=	20.00		20.00	20.00
19	42&v0; 0;;	3.00		3.00	3.00
20	44&if"k{k.k gr ;k=k ,o v0; ikIfxd 0;;	5.00		5.00	5.00
21	45&vodk"k ;k=k 0;;	1.00		1.00	1.00
22	46&dEI;Vj gkMo;j@ lkQVo;j dk d;	5.00		5.00	5.00
23	47&dEI;Vj vuj{k.k / तत्संबंधी स्टेशनरी dk d;	10.00		10.00	10.00
24	49&fpfdRlk 0;;	15.00		15.00	15.00
25	51&onh 0;;	0.50		0.50	0.50
26	52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	200.00		200.00	200.00
27	55- मकान किराया भत्ता	300.00	1.30	298.70	300.00
28	56- नगर प्रतिकर भत्ता	132.00	0.20	131.80	132.00
29	58-आउटसोसिंग सेवाओं हेतु भुगतान	15.00		15.00	15.00
	;kx&	5801.21	15.65	5785.56	5801.21

(रूपये अटठावन करोड़ एक लाख इक्कीस हजार मात्र)

2- वित्तीय वर्ष 2019-20 के अन्तर्गत व्यवस्थित धनराशि से व्यय केवल चालू योजनाओं पर ही किया जायेगा और किसी भी दशा में नई मदों के कार्यान्वयन के लिये न किया जाय। इस आवंटित धनराशि में मुख्यालय के व्यय हेतु आवश्यक धनराशि रोककर शेष अपने अधीनस्थ समस्त कार्यालयों को आवश्यकतानुसार धनराशि आबंटित कर दें तथा आवंटन की प्रति शासन को भी उपलब्ध करायी जाय। जनपद स्तर पर आहरण एवं वितरण अधिकारी होने की दशा में विभागाध्यक्ष स्तर पर एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय।

3- उक्त धनराशि को व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

4- शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अत: व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में जारी शासनादेश संख्या-सी0ए0-1132/दस-2004-मित-2004, दिनॉक 07 जनवरी, 2005 का विशेष रूप से पालन किया जाय।

5- व्यय की मानक मद 04-यात्रा व्यय के लिये आवंटित धनराशि के समक्ष होने वाले व्यय को इस प्रकार नियंत्रित (रेगुलेट) किया जाय कि नियत यात्रा भत्ता/ वाहन भत्ता का नियमित रूप से भुगतान सुनिश्चित हो सके।

6- कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफ्टवेयर के क्रय में शासन द्वारा समय समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए नियमानुसार कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफ्टवेयर का क्रय किया जाय।

7- आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि को आहरित कर बैंक/ डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।

8- जितनी भी वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी की जाये तथा जो बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जाय उसमें स्पष्ट रूप से पूर्ण लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) के साथ संबंधित अनुदान संख्या का भी उल्लेख अवश्य किया जाय।

9- बी0एम0-08 तथा बी0एम0-13 पर प्रतिमाह की 10 तारीख तक नियमित रूप से वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 तथा उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को सूचना उपलब्ध करायी जाय। बजट मैनुअल के विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से भेजी जाने वाली सूचना तथा उसके संबंध में कैलेण्डर के संकलित प्रारूप का उल्लेख मुख्य सचिव के अर्धशासकीय पत्र संख्या-बी-1-3318/दस-22/98, दिनॉक 28.07.98 में किया गया है।

10- यह सुनिश्चित किया जाय कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाय। विभागाध्यक्ष/ वित्त नियंत्रक, अपने स्तर पर वित्तीय स्वीकृतियों के समक्ष व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगें तथा यदि किसी मामले में सीमाधिक व्यय दृटिगोचर हो अथवा किसी विनियोग की प्राथमिक इकाई के अधीन अनुपातिक आधार पर व्यय में किसी बड़े अन्तर की सम्भावना मालूम पड़े तो उसे तत्काल वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 तथा उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के संज्ञान में लाया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

11- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनॉक 22 मार्च, 2019 में दिये गये दिशा निर्देशों का यथावत अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

12- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में आय-व्ययक की अनुदान संख्या-21 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष "3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-106-भार और माप का विनियमन-03-अधिष्ठान व्यय" के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

13- यह आदेश वित्त विभाग के उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2019 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(वेद प्रकाश शर्मा)
संयुक्त सचिव।

संख्या-05 /2019/387(1)/84-1-19-87/2017 तददिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, वित्तीय सांख्यकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- अनु सचिव,/आहरण एवं वितरण अधिकारी, खाद्य एवं रसद सचिव शाखा, उत्तर प्रदेश शासन।
7- राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन0आई0सी0) योजना भवन, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
9- खाद्य एवं रसद अनुभाग-3/लेखा अनुभाग, खाद्य एवं रसद विभाग/उ0सं0 एवं बाट माप अनुभाग-3
10- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(वेद प्रकाश शर्मा)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।